दिनांक 02–02–2018 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कियान्वयन हेतु कार्मिकों एवं पी.आई.यू. की संख्या में बृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति :–

1. श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन
2. श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन
3. श्री अमित नेगी, सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री राघव लंगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0।
5. श्री प्रदीप सिंह रावत, अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री देवेन्द्र पालीवाल, अपर सचिव सिंचाई/लघु सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री ए0के0 दिनकर, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. श्री एच0के0 उप्रेती, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. श्री मौहम्मद उमर, मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
10. श्री मनोज सेमवाल, प्रबन्ध निदेशक ब्रिडकुल,उत्तराखण्ड।

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 250 से अधिक आबादी की समस्त असंयोजित बसावटों को सड़क सम्पर्क से संयोजित किये जाने की समय–सीमा को वर्ष 2022 से घटाकर वर्ष 2019 किया गया है। प्रदेश में दिनांक 31–01–2018 को 250 से अधिक आबादी के 750 गांवों को जोड़ा जाना शेष है, इसके लिए नवीन कार्यों की लागत रू0 1724 करोड़ आयेगी तथा पूर्व में स्वीकृत अवशेष कार्यों की लागत 1523 करोड़ है। इस प्रकार लगभग रू0 3247 करोड़ के कार्य किये जाने हैं। रू0 30 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति पी0आई0यू0 व्यय किये जाने की दशा में इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए लगभग 110 पी0आई0यू0 की आवश्यकता है। वर्तमान में योजना के अन्तर्गत 35 पी0आई0यू0 कार्यरत हैं, जिसमें 20 सिंचाई विभाग, 12 लोक निर्माण विभाग एवं 3 ग्रामीण निर्माण विभाग के हैं, जिनकी वर्तमान कार्यक्षमता लगभग 15.00 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति पी0आई0यू0 है। इन पी0आई0यू0 में वर्तमान में तकनीकी कार्मिकों के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने के उपरान्त इनकी क्षमता बढ़ाकर 30.00 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति पी0आई0यू0 करने का लक्ष्य है। इस हेतु पूर्व में उच्च स्तर से प्राप्त अनुमोदन के उपरान्त 356 पदों की स्वीकृति हेतु पत्रावली वित्त विभाग को संदर्भित की गयी थी, जिस पर वित्त विभाग के परामर्शानुसार कार्मिकों की संख्या घटाकर 243 करते हुए इसकी स्वीकृति हेतु वित्त विभाग से अनुरोध किया गया, जिस पर वित्त विभाग द्वारा पुनः कतिपय पृच्छाएं की गयी है, जिस पर कार्यवाही गतिमान है। इसी क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त व्यवस्था के विकल्प के रूप में यू0डी0आर0पी0/यू0ई0ए0पी0 परियोजनाओं के अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट (पी0एम0सी0) नियुक्त करने की अनुमति प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता है ताकि पी0आई0यू0 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं यू0आर0आर0डी0ए0 स्तर पर सम्बन्धित पी0एम0सी0 एवं पी0एम0सी के तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से कार्य सम्पादन, अनुश्रवण कराया जा सके जिस हेतु लगभग रु0 01.00 करोड प्रतिमाह का व्यय सम्भावित है, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना होगा। यह भी अवगत

क्रमशः–2

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

कराया गया कि वर्तमान में मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 गढ़वाल क्षेत्र एवं अधीक्षण अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ के पद रिक्त हैं, जिस हेतु लोक निर्माण विभाग से नियुक्ति किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किये गये हैं।

प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों को मार्च 2019 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिस हेतु समर्पित खण्ड़ों (Dedicated Division) की अत्यन्त आवश्यकता है, अन्यथा राज्य को आर्थिक एवं अवस्थापना सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। इस हेतु कार्मिक प्रबन्धन के लिए लगभग 06 माह से निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, परन्तु अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं हो पाया है। इस कठिनाई को दूर करने हेतु ही विभिन्न अभियंत्रिकी विभागों से अतिरिक्त समर्पित खण्ड़ों को उनके समस्त कार्मिकों सहित पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों हेतु आवंटित करने हेतु मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर यह बैठक आहूत की गयी है।

सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सिंचाई विभाग के 20 खण्ड़ों को पूर्व में ही पी0एम0जी0एस0वाई0 को दिया गया है एवं 3 खण्ड यू0डी0आर0पी0 को दिये गये है। इस प्रकार उनके पास कुल 55 खण्ड़ों में से वर्तमान में 32 खण्ड अवशेष है, जिसमें से यदि पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों हेतु मात्र कार्मिकों को ही लिया जाये तो उचित होगा। बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि कार्मिकों के स्थान पर पूर्ण समर्पित खण्ड़ों को ही लिये जाने में पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जा सकेगा। अतः वर्तमान में सिंचाई के 32 खण्ड़ों में से राज्य के प्रत्येक जनपद हेतु 1–1 खण्ड को छोड़ते हुए 13 समर्पित खण्ड सिंचाई विभाग द्वारा अपने पास रख लें एवं शेष 19 समर्पित खण्ड पी.एम.जी.एस.वाई. को आवंटित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।

(कार्यवाही सिंचाई विभाग)

अपर सचिव, लघु सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 13 खण्ड कार्यरत हैं, जिसमें से 50 प्रतिशत कृषि इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। अतः वे पी0एम0जी0एस0वाई0 के सड़क निर्माण कार्यों हेतु सक्षम होगें या नहीं इस पर भी विचार कर लिया जाये। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि वे अभियांत्रिकी शाखा से जुड़े हुए हैं, अतः उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देकर पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों हेतु लगाया जा सकता है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा लघु सिंचाई विभाग के 13 समर्पित खण्ड़ों को पी0एम0जी0एस0वाई0 को तत्काल आवंटित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही लघु सिंचाई विभाग)

अपर सचिव, लोनिवि द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में लाठेनि0वि0 से 12 खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 को आवंटित किये गये है एवं 9 ए0डी0बी0 के अतिरिक्त खण्ड़ों में से 5 खण्ड़ों की सहमति हेतु पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की गयी है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उपरोक्त समस्त 9 अतिरिक्त खण्ड़ों को पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों हेतु आवंटित कर दिया जाये एवं वित्त विभाग द्वारा इस पर तत्काल सहमति प्रदान कर दी जाये। सचिव, वित्त द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही लोक निर्माण विभाग/वित्त विभाग)

क्रमशः–3

ब्रिडकुल (BRIDCUL) के प्रबन्ध निदेशक द्वारा वर्तमान में 02 खण्ड़ों तथा 02 खण्ड दो माह पश्चात् दिये जाने हेतु सहमति दी गयी, जिस पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि ब्रिडकुल अपने 04 खण्ड़ों को शीघ्र पी0एम0जी0एस0वाई0 को आवंटित कर दें।

(कार्यवाही प्रबन्ध निदेशक, ब्रिडकुल)

उक्त तथ्यों के आलोक में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से विचार–विमर्श के उपरान्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह मन्तव्य व्यक्त किया गया कि भारत सरकार द्वारा पी0.एम0जी0एस0वाई0 के लक्ष्यों को 2022 से घटाकर 2019 कर दिया गया है एवं उक्त लक्ष्यों को पूर्ति करने हेतु अधिकतम 1 से 2 वर्षों के अन्दर लगभग 3000 करोड़ के कार्यों को पूर्ण किया जाना है एवं इस हेतु लगभग 1500 करोड़ प्रति वर्ष व्यय किया जाना है, जिस हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों के कियान्वयन हेतु विभिन्न अभियान्त्रिकी विभागों के समर्पित खण्ड़ों को लिया जाना अनिवार्य है, जिससे उक्त लक्ष्य को समय से पूर्ण किये जाने में कोई बाधा उत्पन्न न हो। चूंकि पी0एम0जी0एस0वाई0 की सड़क निर्माण से राज्य की जनता को ही आवागमन की सुलभ सुविधाएं प्राप्त होंगी। अतः समस्त विभागों द्वारा राज्यहित/जनहित में सर्व समावेशीय रूप से साथ मिल कर कार्य करना होगा।

बैठक में समस्त विभागों से विचार–विमर्श उपरान्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये :–

1. पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों को युद्ध स्तर पर पूर्ण किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के 09 खण्ड, सिंचाई विभाग के 19 खण्ड, लघु सिंचाई विभाग के 13 खण्ड केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 06 खण्ड, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के उपक्रम WAPCOS के 04 खण्ड एवं BRIDCUL के 04 खण्ड अर्थात् कुल 55 खण्ड़ों को तत्काल पी0एम0जी0एस0वाई0 को आवंटित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
2. भारत सरकार के अन्य पी0एस0यू0 यथा एन0बी0सी0सी0, एन0पी0सी0सी0 इत्यादि जिन्होनें अन्य राज्यों में पी0एम0जी0एस0वाई0 का कार्य किया हो, से भी वार्ता कर अतिरिक्त पी0आई0यू0 लिये जाने की कार्यवाही की जाये।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0 के प्रस्तावानुसार लोनिवि के जिन सिविल खण्ड़ों में कम कार्य है उनके माध्यम से समर्पित सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता का आंकलन कर लोनिवि के साथ वार्ता कर उन्हें भी कार्य आवंटित किये जायें।
4. मुख्य अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, गढ़वाल एवं अधीक्षण अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ के रिक्त पदों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र नियुक्ति की जाये।
5. पी0एम0जी0एस0वाई0 के अधीन वर्तमान में कार्यरत 35 पी0आई0यू0, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं यू0आर0आर0डी0ए0 की augmentation हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्सी hire किये जाने की कार्यवाही तत्काल रूप से प्रारम्भ की जाये तथा उक्त पर होने वाले व्यय का भुगतान नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

उक्तानुसार बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों द्वारा उक्त बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त की गयी फलस्वरूप धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

क्रमशः–4

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–1
संख्या 110 / XI (1)/18/53 (39)2017 टी0सी0
देहरादून : दिनांक 08 फरवरी 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे समस्त अभियांत्रिकी विभाग से समन्वय स्थापित कर बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. प्रबन्ध निदेशक ब्रिडकुल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
9. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव